श्री पप्पु कुमार वर्मा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना संख्या 18/2/214 का उत्तर प्रतिवेदनः–

शून्यकाल सूचना सं०–18/2/214	उत्तर प्रतिवेदन
अमर शहीद जगदेव बाबू का सपना हमीदनगर पुनपुन परियोजना (पुनपुन बराज प्रोजेक्ट) औरंगाबाद जिले में पुनपुन नदी पर स्थित एक प्रमुख सिंचाई योजना है, जो 20 वर्षो से अधिक समय से अधर में लटकी हुई है? अतः इस परियोजना को यथाशीघ्र पुरा करने की मांग करता हूँ।	पुनपुन बराज परियोजना के तहत औरंगाबाद जिला के गोह प्रखण्ड अन्तर्गत हमीदनगर ग्राम के पास बराज का निर्माण कर दायाँ मुख्य नहर के माध्यम से पुनपुन शाखा नहर एवं किंजर वितरणी में जलश्राव उपलब्ध कराते हुए अरवल जिला के करपी प्रखण्ड, जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर एवं जहानाबाद प्रखण्ड तथा पटना जिला के पालीगंज, मसौढ़ी एवं पुनपुन प्रखण्ड के कुल 13680 हेक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र (सी०सी०ए०) में सिंचाई सुविधा मुहैया कराया जाना है। इसके लिए केंन्दीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में स्वीकृति दी गयी। बिहार सरकार द्वारा पुनपुन नदी पर बराज का निर्माण वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया एवं भू–अर्जन की समस्या के कारण स्थानीय विरोध के बावजूद वर्ष 2011 में बराज का निर्माण पूर्ण कर लिया गया परन्तु गेटों का अधिष्ठापन ग्रामीणों के विरोध के कारण बाधित रहा। भू–अर्जन संबंधी बाधाओं के कारण निर्माण कार्य 2016 तक अवरूद्ध रहा। वर्ष 2016–17 में पुनपुन शाखा नहर में एक संरचना एवं किंजर वितरणी के लगभग 3.00 कि०मी० की लम्बाई में नहर का निर्माण किया गया। तत्पश्चात भू–अर्जन की समस्या के कारण कार्य पुनः बाधित हो गया। अथक प्रयास के बाद औरंगाबाद एवं जहानाबाद जिले में प्रशासनिक मदद लेते हुए अगस्त 2022 से कार्य पुनः प्रारंभ किया गया है एवं वर्तमान में बराज में गेटों का अधिष्ठापन कार्य एवं 6.00 कि०मी० की लम्बाई में पुनपुन शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु बराज के अन्य अवयवो का निर्माण कार्य भू–अर्जन की समस्या के कारण पूर्ण नही कराया जा सका है। योजना के अधीन नहर प्रणाली के निर्माण में आ रहे भू–अर्जन की समस्या को देखते हुए उद्वह सिंचाई के तहत भूमिगत प्रेशराईज्ड पाईप के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने निमित पर्यावरण की मंजूरी तथा इस कार्य हेतु तैयार किये गये योजना प्रतिवेदन प्रस्ताव पर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–03–11/2026 पटना/दिनांक ....
प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को शून्यकाल सूचना सं0–18/2/214 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–03–11/2026 पटना/दिनांक :..
प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–03–11/2026 पटना/दिनांक :..............................
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–03–11/2026 1909 पटना/दिनांक : 10/4/26
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव